

10/04/2015

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2014

जयपुर, दिनांक: 09/04/2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

10
रास 1867

विषय:- बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक शिविरा/प्रार/शि.प्र./4467/13/35 दिनांक 27.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र के छन में निर्देशानुसार निवेदन है कि अलग-अलग विश्वविद्यालयों/संस्थानों (नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में) से अलग-अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां/डिप्लोना मान्य हैं।

शुभना अश्विकार के सह प्रेक्ट
सत्यप्रिय प्रशिक्षिका
Dutunay
सहायक निदेशक
शिक्षक प्रशिक्षण
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान-बीकानेर

भवदीय,
9/4/15
(बी. आर. चौधरी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-2) विभाग

क्रमांक : 17(2)शिक्षा-2 / 2008 / पार्ल

जयपुर दिनांक 4.5.2010

राजिन्
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
जयपुर।

विषय : प्राध्यापक-राजनीति विभाग (स्कूल शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा विभाग के
पदों पर शीघी भर्ती के संबंध में।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक:एफ.7(8)नर्ती ख / 2008-09 / 177 दिनांक 13.4.10

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत शन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि किसी उम्मीदी
द्वारा एक ही सत्र में दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अलग-अलग विषयों में (नियमित एवं
मुक्त विश्वविद्यालय से स्वतंत्रपरी परीक्षाओं के रूप में) उचित उम्मीदी/क्रियित मान्य है।

राजिन्
(एच.टी.डी.)
राजस्थान लोक सेवा आयोग-जयपुर

5/5/2010